क्रम-संख्या–4(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 15 जनवरी, 2025
पौष 25, 1946 शक सम्वत्

कार्यालय जिलाधिकारी, अमेठी

———

संख्या 529/डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/25
अमेठी, 15 जनवरी, 2025

———

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या 32/744/एक–1–2016–20 (5)/2016, दिनांक 3 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं निशा अनंत, जिलाधिकारी, अमेठी निम्न अनुसूची के स्तम्भ–7 में उल्लिखित भूमि जो अब तक स्थानीय प्राधिकरण (नगर पालिका परिषद) के प्रबन्धन में निहित थी, पुनः अपने अधिकार में लेती हूँ:–

अनुसूची

क्र०	जनपद	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षे० (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमेठी	गौरीगंज	अमेठी	असैदापुर	257	0.360	श्रेणी 5–3–ड़ बंजर भूमि	उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के पक्ष में बस स्टेशन के निर्माण हेतु।
					260	0.556	श्रेणी 6–4 गैरमुमकिन	
					2 किता	0.916 हे0		

यह आदेश सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अमेठी डिपो के पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2024 की सहमति/भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र के आलोक में उप जिलाधिकारी, गौरीगंज द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 27 दिसम्बर , 2024 के क्रम में जारी की जा रही है।

उक्त भूमि ग्राम असैदापुर, परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी में बस स्टेशन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 32/744/एक–1–2016–20 (5)/2016, दिनांक 3 जून, 2016 व शासनादेश संख्या 2289/तीस–1–2023, दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के क्रम में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के निवर्तन पर दी जाती हैं। चिन्हित भूमि का प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयोग न होने पर पूर्ववत् सम्बन्धित खाते में निहित मानी जायेगी।

आज्ञा से,
निशा अनंत,
जिलाधिकारी,
अमेठी।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 474 राजपत्र–2025–(1241)–588+5=प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।